न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)
अपील संख्याः—63/2022/225 आर.टी.एक्ट (2022/63)

1. कंवरी देवी पत्नी स्व0 किशना
2. नारायण सिंह पुत्र किशना
3. भारत सिंह पुत्र किशन।
4. सूरज सिंह पुत्र किशना
   समस्त जाति चीता, निवासी खरेखडी, तहसील व जिला अजमेर।

अपीलांटस

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, पुष्कर जिला अजमेर।
2. नगर पालिका पुष्कर जरिए अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका पुष्कर

रेस्पोडेन्टस

3. लक्ष्मण सिंह पुत्र किशना जाति चीता, निवासी खरेखडी, तहसील व जिला अजमेर।

प्रफोर्मा रेस्पोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर विरूद्ध निर्णय दिनांक 27.12.2021 राजस्व वाद संख्या 56/2016

उपस्थितः—

1. श्री पुष्पेंद्र सिंह नरूका, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री सरफुदीन, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 2
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 1
4. रेस्पोडेंट संख्या 3 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः—20.10.2022

1. यह अपील प्रकरण संख्या 56/2016 में पारित आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पुष्कर के विरूद्ध दिनांक 27.12.2021 को इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण /अपीलांटस ने सहायक कलक्टर अजमेर क्षेत्राधिकार परिवर्तन होने से उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर के न्यायालय में एक वाद अंतर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत वाद प्रस्तुत किया व उक्त वाद के साथ एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया। उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर ने

अपीलांटस के प्रार्थना पत्र को अदम पालना में खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलांटस यह अपील उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर के निर्णय दिनांक 27.12.2021 के विरूद्ध इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करता है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अपीलांटस द्वारा प्रकरण सहायक कलक्टर अजमेर के न्यायालय में दिनांक 4.5.2016 को प्रस्तुत किया गया था जहां पर रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 को नोटिस तामिल हो चुके थे एवं दिनांक 10.06.2016 को रेस्पोडेंट संख्या 2 की ओर से अण्डर टेकिंग भी दी जा चुकी थी तत्पश्चात उक्त प्रकरण क्षेत्राधिकार परिवर्तन होने से उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर के न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया एवं बाद स्थानांतरण दिनांक 22.12.2017 को रेस्पोडेंट संख्या 2 के अभिभाषक द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया जा चुका था जिससे स्पष्ट था कि उक्त प्रकरण में कोई तलबी लंबित नहीं थी लेकिन उक्त आदेशिकाओं को बिना देखे गलत एवं अविधिक रूप से क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग कर खारिज करने की नियत से दिनांक 27.12.2021 को आदेश पारित किया है। रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 उपस्थित हो चुके थे एवं जवाब हेतु समय चाहने पर आगामी तारीख दी गई थी जिससे स्पष्ट था कि उक्त प्रकरण में किसी प्रकार से पक्षकारों की तलबी हेतु नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं थी लेकिन पूर्ववर्ती आदेशिकाओं को बिना देखे पत्रावली को तलबी में अंकित कर दिया एवं रजिस्टर्ड ए.डी के आदेश दिए। उक्त तथ्यों को पक्षकार के द्वारा बताने के बावजूद भी कि प्रकरण में नायब तहसीलदार पुष्कर उपस्थित रहे हैं व अधिवक्ता नगर पालिका पुष्कर का वकालतनामा पूर्व में प्रस्तुत हो चुका है एवं नया वकालतनामा भी आज दिनांक 27.12.2021 को प्रस्तुत किया जा चुका है इसके बावजूद भी प्रकरण को आदेश 9 नियम 5 जा0दी0 के तहत खारिज करने का आदेश पारित किया। परीक्षण न्यायालय के द्वारा जारी नोटिस सर्वप्रथम तहसील को जारी होते हैं एवं तहसील के माध्यम से तामिल कुनिन्दा द्वारा तामिल कराए जाते हैं एवं उक्त प्रकरण में भी नोटिस तहसील में भेजे गए जिससे नायब तहसीलदार पुष्कर प्रकरण में उपस्थित रहे एवं परीक्षण न्यायालय में सरकार की तरफ से सभी प्रकरणों में नायब तहसीलदार सदैव उपस्थित रहते हैं एवं नगर पालिका पुष्कर बाद तामिल जरिए अभिभाषक उपस्थित रही हैं। इस विंदु को अनदेखा कर गलत रूप से प्रकरण खारिज कर आदेश पारित किया है। नोटिस पूर्व में तामिल हो चुके हैं एवं वकालतनामा भी प्रस्तुत हो रखा है इसके बावजूद भी अभिभाषक की अनुपस्थिति अंकित कर प्रकरण को अदम पालना में खारिज किया है जबकि तामिल समुचित हो चुकी थी जिसे अदम पालना में खारिज नहीं किया जा सकता था यदि अभिभाषक की अनुपस्थिति थी तो मात्र प्रकरण अदम हाजरी में खारिज किया जा सकता था परंतु ऐसा ना करके प्रकरण को खारिज करने का जो आदेश पारित किया है वह काबिल निरस्त योग्य है।अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर के आदेश दिनांक 27.12.2021 द्वारा पारित निर्णय को निरस्त फरमाया जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को आदेश 9 नियम 5 जाप्ता दीवानी के तहत खारिज किया है उक्त आदेश की माननीय न्यायालय में अपील

पोषणीय नहीं होकर उक्त आदेश के खिलाफ माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में निगरानी पोषणीय है इसलिए अपील अपीलांट खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

6. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 2 ने राजकीय अभिभाषक द्वारा की गई बहस का समर्थन करते हुए अपीलांट की अपील को खारिज की जावे।

7. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के प्रार्थना पत्र को आदेश 9 नियम 5 जाप्ता दीवानी के तहत खारिज किया है उक्त आदेश के खिलाफ माननीय न्यायालय में अपील पोषणीय नहीं होने के कारण इसी स्तर पर अपील अपीलांट को सक्षम न्यायालय में पेश करने हेतु लौटाई जाने के आदेश दिए जाते हैं। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 20.10.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर